

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0024

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

01/09/2025 19:41 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Date from (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/09/2025 Time (समय): 18:25 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 01/09/2025 19:37 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शरीफ

(b) Father's Name (पिताका नाम): अख्तर हुसैन

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	छोटी अज्जी कालोनी, गली नं0 1, बल्लबगढ FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	छोटी अज्जी कालोनी, गली नं0 1, बल्लबगढ FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9999611713

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	ASI Sanjay			1. CIA 65 BLB BALLABHGARH, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	HC Farukh			1. CIA 65 BALLABHGARH, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
3	HC Khalid			1. CIA 65 BALLABHGARH, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	रिश्त राशि 25000 रुपये	25,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, डी.एस.पी. साहब, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं शरीफ पुत्र श्री अख्तर हुसैन निवासी छोटी अज्जी कालोनी, गली नं0 1, बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं कबाडी का काम करता हूँ और मेरे घर पर ही नीचे मैंने कबाडी की दूकान की हुई है। आज सुबह मेरी दूकान पर

सी.आई.ए. स्टाफ, सैक्टर-65, फरीदाबाद के 3/4 पुलिस कर्मचारी सादा कपड़ों में एक सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी में आये और मेरे पिताजी को कहने लगे कि तुम्हारी दूकान में लोहे का चोरी का सामान है, हमने एक चोर पकड़ रखा है, जिसने लोहा चोरी का सामान तुम्हें बेचने के लिए बतलाया है। इतना कहकर वह पुलिस कर्मचारी मेरे पिताजी को पुछताछ के नाम पर अपने साथ ले गये। मैं काफी घबरा गया था और मैंने अपने पिताजी के दोस्त श्री हफीज खान निवासी सुभाष कालोनी को यह सारी बात बतलाई। जिसके बाद मैं व मेरे अंकल हफीज खान मोटर साईकिल पर सी.आई.ए. स्टाफ, सैक्टर-65, फरीदाबाद गये, जहाँ पर गेट पर खड़े पुलिस कर्मचारी स्टाफ ने मुझे अन्दर नहीं जाने दिया और हमारी तरफ से मेरे अंकल हफीज खान अन्दर स्टाफ में चले गये। काफी देर बाद जब मेरे अंकल हफीज खान स्टाफ से बाहर आये तो उन्होंने कहा कि अन्दर स्टाफ वाले थानेदार संजय ईन्चार्ज, हवलदार खालिद व फारूख तुम्हारे पापा को किसी चोरी के मामले में गिरफ्तारी करने की कह रहे हैं। जिस मामले में तेरे पिता को छोड़ने के बदले में एक लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे, मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी अब वह 25 हजार रु रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उनकी सारी बातचीत की मेरे अंकल हफीज खान ने रिकार्डिंग कर ली है। जिसको मैं बाद में पेश कर दूंगा। सी.आई.ए. स्टाफ, सैक्टर-65, फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों ने मेरे अंकल हफीज खान को भी स्टाफ में बैठा लिया है और मुझे 25 हजार रु रिश्वत लेकर आने के लिए कहा है। हमारा सी.आई.ए. स्टाफ के पुलिस कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार के पैसों का कोई लेनदेन नहीं है और ना ही मेरी इनके साथ कोई रंजिश है। कृपा करके सी.आई.ए. स्टाफ, सैक्टर-65, फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। शरीफ पुत्र श्री अख्तर हुसैन निवासी छोटी अज्जी कालोनी, गली नं0 1, बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद, मो0 नं0 9999611713 कार्यवाही पुलिस:- आज मैं अपने कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में उपस्थित था तो उच्च अधिकारीगण से निर्देश मिला की दिल्ली वडोदरा हाईवे के नीचे चन्दावली चैक पर शिकायतकर्ता शरीफ से मिलकर हालात तसदीक करने उपरान्त रेंडिंग कार्यवाही करूं। जिस पर मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय से राजपत्रित अधिकारी नियुक्ति आदेश प्राप्त करके राजपत्रित अधिकारी श्री अरविन्द कुमार एक्स.ई.एन. FTPS, HPGCL, फरीदाबाद को अपने कार्यालय से एक अन्य कर्मचारी साथ लेकर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद पहुंचने बारे निर्देश दिया गया। थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद से उप निरीक्षक रोहित कुमार, स.उ.नि. संजीव कुमार, स.उ.नि. बृजपाल, स.उ.नि. कुलदीप सिंह, मु0 सि0 अमित कुमार, मु0सि0 युधवीर, मु0सि0 चरणजीत, सिपाही ओमबीर व सिपाही वेदप्रकाश को रेंडिंग टीम में शामिल किया गया। इसी दौरान राजपत्रित अधिकारी श्री अरविन्द कुमार एक्स.ई.एन. FTPS, HPGCL फरीदाबाद अपने साथ अपने कार्यालय के श्री संजय कुमार सहायक के साथ हाजिर आया जिनको आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश दिखलाये गये जिनहें पढ़कर राजपत्रित अधिकारी श्री अरविन्द कुमार उपरोक्त द्वारा अपने साथ आये अपने कार्यालय के श्री संजय कुमार सहायक को छाया गवाह नियुक्त किया। जिनको भी रेंडिंग पार्टी में शामिल करके मैं मय रेंडिंग पार्टी मय लैपटाप मय प्रिटर मय गाड़ी प्राईवेट व सरकारी के दिल्ली वडोदरा हाईवे के नीचे चन्दावली चैक पर पहुंचा कर शिकायतकर्ता श्री शरीफ उपरोक्त से सम्पर्क किया तो उसने बतलाया कि वह बारिश होने के कारण चन्दावली चैक से थोड़ा आगे हाईवे के बाईं तरफ बने मन्दिर बरामदा में खड़ा है। जिसके बाद मैं रेंडिंग पार्टी सहित चन्दावली चैक से थोड़ा आगे हाईवे के बाईं तरफ बने मन्दिर बरामदा में पहुंचा जहां पर शिकायतकर्ता श्री शरीफ मुझे मिला। जिसका परिचय राजपत्रित अधिकारी व छाया गवाह से करवाने के बाद मेरे व राजपत्रित अधिकारी द्वारा हालात तसदीक किये गये। जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा अपनी उपरोक्त हस्त लिखित दरखास्त मुझे पेश कि जिसके विषय से आरोपी थानेदार संजय कुमार ईन्चार्ज, हवलदार खालिद व फारूख सी.आई.ए. सैक्टर-65 फरीदाबाद द्वारा मुदई से रिश्त की मांग करके अपराध धारा 7 पी.सी.एक्ट का घटित होना पाया जाने पर उपरोक्त शिकायत पर लेख अंकित हवाले स.उ.नि. कुलदीप करके अभियोग पंजीकृत करवाने के लिये रवाना थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा असल लेख व मिषल मुकदमा मौका पर भिजवाई जाये। स्पेशल रिपोर्ट उचित माध्यम से इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये। मैं मय रेंडिंग पार्टी मय मुदई के आगामी अनुसंधान कार्यवाही में व्यस्त होता हूँ। स्थान: मन्दिर नजदीक चन्दावली चैक फरीदाबाद। अर्जुन राठी, ह.पु.से., उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद। दि0 01.09.2025 समय: 05.15 पी.एम. अज थाना: हस्ब आमद तहरीर थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा नं0 24 दिनांक 01.09.2025 धारा 7 PC ACT, 1988 थाना SVACB/FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल ASI कुलदीप के इलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है यह मुकदमा निरीक्षक संतराम की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है व इस मुकदमे का असल अनुसन्धान अधिकारी श्री

अर्जुन राठी DSP/SV and ACB/FBD है। नोट: मुकदमा उपरोक्त अधिक बारिश होने की वजह से तहरीर थाना पर देरी से प्राप्त होने के कारण देरी से दर्ज किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ARJUN RATHI Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
No. (सं.): GGN to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): MUKESH GIRI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 806FBD

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

